कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी,उ0प्र0,इलाहाबाद

आदेश सं0/सम्बद्धता/ 10237-44 /2016–17 दिनांकः 19 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं0 1476/15-11-2016 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 08.09.2016 द्वारा निजी संस्थान **हरिवंश महाविद्यालय, प्लाट नं0 1207, ग्राम चौसा, कुण्डा, जनपद-प्रतापगढ़** को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **शैक्षिक सत्र 2016–17 से एक यूनिट (50 सीट)** की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

(1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।

(2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।

(3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।

(5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।

(6) संस्थान द्वारा अपनी बेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की बेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 30.05.2016 से 03.06.2016 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016–17 से एक **यूनिट (50 सीट)** की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।

पृ0सं0 / सम्बद्धता/ 10237-44 /2016–17 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0,शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0शासन, शिक्षा अनुभाग -11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0,लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0,लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-II, एल0आई0सी0 बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005 (राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, प्रतापगढ़।
7. प्रबन्धक/सचिव, हरिवंश महाविद्यालय, प्लाट नं0 1207, ग्राम चौसा, कुण्डा, जनपद-प्रतापगढ़।
8. गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।